न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :— कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं ::118 / 2023
जीसीएमएस सं0 2023 / 175

1. धूड़ाराम पुत्र लच्छूराम उम्र 65 साल
2. संगीता पत्नि मुकेश कुमार उम्र 27 साल
3. सम्पत देवी पत्नि महेश कुमार उम्र 33 साल
4. रामलाल पुत्र जोधाराम उम्र 55 साल
5. हणमान पुत्र जोधाराम उम्र 45 साल
6. मुकेश पुत्र रतनलाल उम्र 30 साल
7. महेश कुमार पुत्र नानूराम उम्र 34 साल
8. श्रवण कुमार पुत्र धुडाराम उम्र 40 साल
   समस्त जाति अहीर (यादव) नि0 मंढा तह0 दांतारामगढ़,सीकर।
9. कमलेश चौधरी पत्नी श्री अर्जुनलाल उम्र 45 साल जाति जाट नि0 उधोग नगर निवारू रोड़,जयपुर।
10. प्रभातीलाल यादव पुत्र गाविन्दराम यादव उम्र 70 साल जाति यादव नि0 कुण्डलपुर पोस्ट आंतरी तह0 सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
11. ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री बनवारीलाल यादव जाति यादव नि0 पिपराली रोड़, आदर्श कॉलोनी, सीकर।

— वादीगण,

बनाम

1. पोखरमल पुत्र रूड़ाराम उम्र 61 साल जाति जाट नि0 मण्ढा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 70 साल जाति जाट नि0 नांगलिया दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुंनू।
3. भगवानाराम पुत्र मांगूराम उम्र 80 साल जाति अहीर नि0 उदयपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
4. मुन्नी देवी पत्नि पप्पू कुमावत उम्र 40 साल जाति कुमावत नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. बडैदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मंढा मदनी।
6. भू धारक तहसीलदार, दांतारामगढ़।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :— . 1.श्री सुरेश सैनी,श्री ताराचंद यादव वकील वादीगण की ओर से।
2. ,,सागरमल ढाका, प्रति0सं0 1 की ओर से।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा तथा रिकार्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा भू राजस्व अधिनियम 1956.

निर्णय

दिनांक :: 20.01.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वाके ग्राम मण्ढा प0ह0 मंढा मदनी भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ सीकर की तन में खाता सं0 370 में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 144 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 220 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 222 रकबा 0.4700 है0 ख0नं0 223 रकबा 0.4700 है0 ख0नं0 224 रकबा 2.4200 है0 ख0नं0 226 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 227 रकबा 0.3100 है0 ख0नं0 229 रकबा 0.1000 है0 ख0नं0 2359/158 रकबा 0.0050 है0 ख0नं0 2361/159 रकबा 0.1750 है0 ख0नं0 2363/214 रकबा 0.0260 है0 ख0नं0 2365/215 रकबा 0.0020 है0 ख0नं0 2367/216 रकबा 0.0010 है0 ख0नं0 2369/217 रकबा 0.0900 है0 ख0नं0 2371/218 रकबा 0.4560 है0 ख0नं0 2373/219 रकबा 0.3160 है0 ख0नं0 2377/225 रकबा 0.1250 है0 ख0नं0 2472/210 रकबा 0.0504 है0 ख0नं0 2473/210 रकबा 1.4396 है0 ख0नं0 2474/228 रकबा 0.0552 है0 ख0नं0 2475/228 रकबा 1.5148 है0 ख0नं0 278 रकबा 2.2100 है0 ख0नं0 279 रकबा 1.5300 है0 ख0नं0 280 रकबा 0.0700 है0 कुल खसरे 24 कुल रकबा 11.9260 है0 अवस्थित है, जिसकी खातेदारी वादी सं0 1,6 व 7 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ, सीकर की तन में खाता नया 639 में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 2375/221 रकबा 2.0870 है0 अवस्थित है ,जिसकी खातेदारी वादी सं0 1, 6 व 7 व 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में खाता सं0 नया 595 में वर्णित कृषि भूमियां ख0नं0 2476/2353 रकबा 0.0132 है0 ख0नं0 2477/2353 रकबा 0.0878 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1010 है0 अवस्थित है, जिसकी खातेदारी वादी सं0 1, 2, 3 एंव प्रति0सं0 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में खाता सं0 नया 659 में वर्णित कृषि भूमियां ख0नं0 2478/2383 रकबा 0.0132 ख0नं0 2479 /2383 रकबा 0.5738 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5870 है0 अवस्थित है, जिसकी खातेदारी वादी सं0 1, 2, 3 व 9 एंव प्रति0सं0 1, 2, 3, 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में खाता सं0 642 में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 2351/211 रकबा 1.2650 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.2650 है0 अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादी सं0 1, 2, 3 व 9 एंव प्रति0सं0 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में खाता सं0 179 में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 139 रकबा 0.6200 है0 अवस्थित है, जिसकी खातेदारी वादी सं0 1, 3, 4 व 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में खाता सं0 नया 181 में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 2356/145 रकबा 1.1600 हे0 एंव खाता सं0 699 के ख0नं0 128 रकबा 0.6200 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 है0 अवस्थित है,

कलक्टर(मु.) सीकर

जिसकी खातेदारी वादी सं0 1, 3 व 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में खाता सं0 नया 180 में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 122/2258 रकबा 0.2000 है0 एंव ख0नं0 123/2259 रकबा 0.1700 है0 ख0नं0 138 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 140 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.44 है0 अवस्थित है, जिसकी खातेदारी वादी सं0 1,2, 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

वाद की मद सं0 1 ता 8 में वर्णित भूमियां एक ही स्थान पर तथा एक ही परिधि में अवस्थित है तथा इनका राजस्व रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी वादी सं0 1 ता 9 व 11 तथा प्रति0सं0 1 ता 4 के नाम चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपने हक हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमियां जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.08.23 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 292 में पृष्ठ सं0 129 क्रम सं0 202303503102447 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 923 के पृष्ठ सं0 253 से 261 पर चस्पा किया गया के माध्यम से वादी सं0 10 प्रभातीलाल को विक्रय किया जा चुका है। परन्तु उक्त विक्रय पत्र का विधिवत नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। परन्तु उक्त हक हिस्से पर प्रति0सं0 3 व 4 के स्थान पर वादी सं0 10 काबिज काश्त हो चुका है। इस प्रकार वादीगण एंव प्रति0सं0 1 व 2 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग–अलग सींव नींव कायम कर अपने हक हिस्से पर बाहमी बंटवारे के अनुसार मौके पर प्राप्त अपने हक हिस्से पर अलग–अलग सींव नींव बनाकर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस संबंध में वादीगण एंव प्रति0सं0 1 व 2 के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। वादीगण एंव प्रति0सं0 1 व 2 संख्या में अधिक होने तथा आपस में राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन नहीं होने के कारण उनके मध्य अपनी सीमा को लेकर अकसर विवाद उत्पन्न होता रहता है। इस कारण वादीगण एंव प्रति0सं0 1 व 2 द्वारा मुताबिक कब्जा काश्त बंटवारा किया जाना उचित व आवश्यक है। वादीगण एंव प्रति0सं0 1 व 2 ने आपस में बाहमी विभाजन कर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वाद पत्र की मद सं0 1 ता 8 में वर्णित काश्त भूमियों का मौके पर कब्जे, काश्त के अनुसार बंटवारा वाद की मद सं0 10 में अंकित अनुसार कर रखा है। वादीगण ने वाद पेश कर वाद की मद सं0 19 की उप मद क,ख,ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 6 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण के अनुरोध पर दिनांक 01.04.24 को वादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/4727 दिनांक 03.09.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रति0सं0 1 द्वारा दिनांक 10.09.24 को जरिये वकील सागरमल ढाका उपस्थित होकर आवेदन पत्र अं0 आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किये जाने पर वकील वादीगण द्वारा नो ऑबजेक्शन करने पर आवेदन पत्र अं0 आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रति0सं0 1 को जवाब देने व सुनवाई हेतु साक्ष्य

सहायक कलक्टर(मु.) सीकर

सबूत पेश करने हेतु अवसर दिये जाने पर उनके द्वारा आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश कर निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया वादी के कहे अनुसार मनमर्जी से तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर तीन वादीयां के ही हस्ताक्षर है। प्रतिवादी के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव पर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व बंटवारा हेतु निर्धारित नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव में प्रार्थी के हिस्से का है, जानबुझकर अलग से बंटवारा नहीं किया गया है। प्रार्थी को जो उसके समाज व परिवार का व्यक्ति नहीं है, उसके साथ सह खातेदार रखा गया है, जो वादीगण के गिरोह के व्यक्ति है। विभाजन प्रस्ताव में प्रार्थी के सामने रोड की जमीन है, जो मुख्य रोड़ है, उस रोड की बाउन्ड्री 133 फीट की सीमा को छोडकर विभाजन प्रस्ताव बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया जिससे प्रार्थी के हिस्से की जमीन रोड की जमीन जोडकर हिस्सा दिया है। प्रार्थी के हिस्से की जमीन मौके पर कम बनती है, रिकार्ड के अनुसार मौके पर नहीं है इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। नियमानुसार जो खातेदार अपने हिस्से को संयुक्त नहीं रखना चाहता है, उसके हिस्से का अलग से बंटवारा करना चाहिए। प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाट नि0 नांगलिया दूदवा तहसील खेतडी जिला झुंझुंनू के साथ शामिल में संयुक्त खातेदारी में अपना हिस्सा नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति वादीगण के गिरोह का व्यक्ति है इसलिए न्यायहित में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.04.2024 को निरस्त किया जाकर पुनः प्रार्थी के हिस्से का अलग से बंटवारा करते हुए बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित आवश्यक है।

वादीगण ने आवेदन आपत्ति प्रस्ताव का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 को सही होने से स्वीकार है। मद सं0 2 लगायत 6 को गलत होने से अस्वीकार किया है। वादीगण ने आपत्ति प्रस्ताव का जवाब पेश कर इसे निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थी/प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव एंव जवाब आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/2024/4727 दिनांक 03.09.24 के द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र कमांक भू0अ0/2024/4727 दिनांक 03.09.24 द्वारा मौके पर उपस्थित होकर वादीगण की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाये गये है। अगर प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो तहसीलदार, दांतारामगढ़ के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता प्रकरण में बावजूद रजिस्र्ड तामील हाजिर नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही किये जाने पर प्रार्थीगण की सहमति के आधार पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये थे। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर केवल वादीगण के ही हस्ताक्षर होने व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं करवाने की आपत्ति भी चलने योग्य नहीं है। साथ ही केवल प्रति0 सं0 1 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की गई है अन्य वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा कोई इसपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं

उपखण्ड कलक्टर(मु.) श्रीकर

की गई है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थी /आपत्तिकर्ता पोखरमल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव प्रकरण को लंबित करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी /आपत्तिकर्ता पोखरमल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव खारिज किया जाता है।

चूंकि वादीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा, उद्घोषणा तथा रिकार्ड दुरूस्ती अं0 धारा 53, 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955 तथा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है तथा विवादित भूमियां वादीगण एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व अविभाजित कृषि भूमियां है, जिसका पक्षकारान बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा करवाना चाहते है। न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण के अनुरोध पर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/4727 दिनांक 03.09.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/4727 दिनांक 03.09.24 फाईनल डिक्री का पार्ट रहेगा। आराजी कृषि भूमियां ख0नं0 ख0नं0 144, 220, 222, 223, 224, 226, 227,229,2359/158, 2361/159, 2363/214, 2365/215, 2367/216, 2369/217, 2371/218, 2373/219, 2377/225, 2472/210, 2473/210, 2474/228, 2475/228, 278, 279, 280 कुल किता 24 कुल रकबा 11.9260 है0 ख0नं0 2375/221 रकबा 2.0870 है0 ख0नं0 2476/2353, 2477/2353 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1010 है0 ख0नं0 2478/2383, 2479/2383 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5870 है0 ख0नं0 2351/211 रकबा 1.2650 है0 ख0नं0 139 रकबा 0.6200 है0 ख0नं0 2356/145 रकबा 1.1600 है0 ख0नं0 128 रकबा 0.6200 है0 ख0नं0 122/2258, 123/2259, 138, 140 कुल किता 04 कुल रकबा 0.4400 है0 राजस्व ग्राम मण्ढा प0ह0 मण्ढा मदनी भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	धुडाराम पुत्र लच्छूराम जाति अहीर (यादव) सा0देह0 खातेदार राहिन बड़ौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक शाखा,मण्ढा मदनी मूर्तहीन	2373/219 2375/221/1 2371/218/2 223/2 222/1 278/1 224/2 2473/210 2479/2383/4 2351/211/3 2356/145/2	0.3160 0.2476 0.3300 0.4240 0.1500 1.6928 0.3566 1.4396 0.2729 0.1562 0.4349	बा.3 बा.3 बा.4 बा.3 बा.3 बा.3 बा.3 बा.2 बा.4 बा.4 बा.4	
		किता 11	5.8206		

सहायक कलक्टर(मु.) सीकर

2.	मुकेश कुमार पुत्र रतनलाल जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मंढा मदनी मूर्तहीन (ख0नं0 279 को छोडकर)	222/2	0.3200	चा.3	
		220	0.0400	गैमुचा	
		278/2	0.5172	चा.3	
		2375/221/3	1.7270	चा.3	
		279	1.5300	चा.3	
		2359/158	0.0050	बा.2	
		2361/159/1	0.1490	बा.2	
		किता 7	4.2882		
3.	महेश कुमार पुत्र नानूराम जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्राम बैंक शाखा मंढा मदनी मूर्तहीन	223/1	0.0460	बा.3	
		224/1	2.0634	बा.3	
		227/1	0.2260	बा.4	
		226	0.0100	गैमुरा	
		2365/215	0.0020	बा.4	
		2367/216	0.0010	बा.4	
		2369/217	0.0900	चा.4	
		2371/218/1	0.1260	बा.4	
		2377/225	0.1250	चा.4	
		2475/228	1.5148	चा.4	
		2361/159	0.0260	बा.2	
		किता 3	4.2302	बा.1	
4.	संगीता यादव पत्नि मुकेश कुमार जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार	2351/211/1	0.6500	बा.4	
		किता 1	0.6500	बा.4	
5.	सम्पत देवी पत्नी महेश कुमार जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार	2356/145/1	0.7251		
		2477/2353	0.0878		
		2351/211/2	0.4588		
		किता 3	1.2717	बा.4	
6.	श्रवण कुमार पुत्र धुडाराम जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार	2375/221/2	0.1124	चा.3	
		किता 1	0.1124	चा.3	
7.	पोखरमल पुत्र रूडाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार, राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह हि0 1/2 जाति जाट सा0 नागलिया दूदवा तह0 खेतडी जिला झुंझुंनू खातेदार	2479/2383/3	0.1036	बा.4	
		किता 1	0.1036	बा.4	
8.	मुन्नी देवी पत्नी पप्पू कुमावत हि0 624/848 जाति कुमावत सा0 पलसाना भगवानाराम पुत्र मांगूराम हि0 225/848 जाति अहीर (यादव) सा0 ढाणी बाढवाली तन उदयपुरा तहसील श्रीमाधोपुर खातेदार	2479/2383/2	0.0849	बा. 4	
		किता 1	0.0849	बा. 4	
9.	कमलेश चौधरी पत्नी अर्जुनलाल जाति जाट 152 उधोगनगर निवारू रोड झोटवाडा जयपुर खातेदार	2479/2383/1	0.1124	बा. 4	
		किता 1	0.1124	बा. 4	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

10.	ओमप्रकाश यादव पुत्र बनवारीलाल यादव जाति अहीर (यादव) सा0 पिपराली रोड़ आदर्श कॉलोनी, सीकर खातेदार	128	0.6200	चा.2	
		किता 1	0.6200	चा.2	
11.	घुड़ाराम पुत्र लच्छुराम हि0 56/62 राहिन बड़ोदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक शाखा मंढा मदनी मूर्तहीन रामलाल, हणमान पि0 जोधाराम हि0ब0हि0 6/62 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार	139	0.6200	बा. 4	
		किता 1	0.6200	बा. 4	
12.	मुताबिक जमाबंदी सं0 2076–2079 के खाता बदस्तुर।	122/2258	0.2000	बा.2	
		123/2259	0.1700	चा.4	
		138	0.0400	गैमुरा	
		140	0.0300	बा.4	
		2478/2383	0.0132	गैमुरा	
		144	0.0400	बा.4	
		229	0.1000	गैमुरा	
		2472/210	0.0504	गैमुरा	
		2474/228	0.0552	गैमुरा	
		280	0.07	गैमुरा	
		2476/2353	0.0132	गैमुरा	
		किता 11	0.7820		
13.	महेश कुमार पुत्र नानूराम हि0 1/2 राहिन बडौदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा मंढा मदनी मूर्तहीन मुकेश कुमार पुत्र रतनलाल हि0 1/2 राहिन बडौदा राज0ग्रा0बैंक शाखा मंढा मदनी मूर्तहीन सा0 देह खातेदार	227/2	0.0840	चा.4	
		2363/214	0.0260	बा. 4	
		किता 2	0.1100		

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner